

(ख) और (ग) घटना की जांच करने के लिये एक जांच अदालत गठित की गई है, जांच अदालत की रिपोर्ट अभी नहीं मिली है। जांच के कारण हुई क्षति का अनुमान रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही लगाया जा सकेगा।

टारसी क एक व्यापारी से सोने का जूधा किया जाना

973 श्री माधुराम ग्रहिरवार क्या बिल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या जन, 1972 में सीमाशुल्क विभाग द्वारा डटारमी, मध्य प्रदेश के एक व्यापारी के पाम में 20,000 रुपये के मूल्य का सोना जूधा किया गया था,

(ख) क्या यह साना सीमाशुल्क विभाग में गायब हो गया है, और

(ग) यदि हा, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्रवाई की है और इसके लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम क्या हैं ?

बिल संसद में उप मंत्री (औद्योगिक स्थीला रोहसगी) (क) जी हा।

(ख) और (ग) उक्त मान का पकड़ने की औपचारिकताएं जब पूरी की जा चुकी थी, तब पाया गया कि पकड़े गये सोने का सीनबन्द पैकेट गायब है। सोने की चोरी की रपट तत्काल म्वासीय पुलिस में की गयी। सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादनशुल्क, जबलपुर, ने तत्काल मामलों की प्रारम्भिक जांच की और उसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर, समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादनशुल्क, नागपुर ने यह मामला, जांच-पड़ताल के लिये पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस सस्थापन, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, जबलपुर को सौंप दिया है। अब इस संबंध में अगली कार्यवाही केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट प्राप्त होने पर की जायेगी।

मुरैना (मध्य प्रदेश) में तेल शोधक कारखाने की स्थापना

974 श्री माधुराम ग्रहिरवार क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारतीय तेल निगम का एच डल उत्तर मध्य प्रदेश में तेल शोधक कारखाने की स्थापना के लिये मुरैना गया था,

(ख) क्या उक्त अध्ययन दल ने मुरैना जिले में तेल शोधक कारखाने की स्थापना के पक्ष में अपना प्रतिबन्धन प्रस्तुत किया है, और

(ग) यदि हा, तो इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

बिधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० शार० गोखले)

(क) गवर्नलियर ने अथवा उसके पाम प्रस्तावित उत्तर-पश्चिम शोधनशाला की स्थापना की स्थापना का अध्ययन करने के लिये भारतीय तेल निगम के एक दल ने मध्य प्रदेश का दौरा किया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) मंत्री तकनीकी आर्थिक एवं अन्य सम्बद्ध तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् सरकार ने निर्णय लिया है कि उत्तर-पश्चिम शोधनशाला की स्थापना मथरा में की जाये।

मिट्टी के तेल के मूल्य में वृद्धि

975 श्री माधुराम ग्रहिरवार श्री डी० महापात्र

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या गत तीन वर्षों में प्रचलित उपयोग में आने वाले मिट्टी के तेल के मूल्य में बहुत अधिक वृद्धि हुई है,

(ख) उक्त अवधि में विभिन्न राज्यों में मिट्टी के तेल के क्या भाव रहे हैं, और

(ग) मिट्टी के तेल के बढ़ रहे मूल्यों को रोकने के लिये सरकार ने क्या कारगर उपाय किये हैं, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

बिधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) (क) जी नहीं ।

(ख) मई सुलाई, 1972 के दौरान कुछ महत्वपूर्ण स्टेगनों पर अच्छे किस्म के मिट्टी के तेल के फुटकर मूल्यों से सम्बन्धित एक विवरण पत्र सलग्न है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

4 अगस्त 1972 को लोक सभा में पूछे जाने वाले प्रश्न संख्या 975 के भाग (ख) से सम्बन्धित विवरण पत्र

स्टेशन	निम्नलिखित तारीखों का अच्छे किस्म के मिट्टी के तेल के प्रति लिटर फुटकर बिज्री मूल्य			
	1-5-72	1-6-72	1-7-72	
1	2	3	4	
बंगलौर	0 66	0 66	0 66	
महमदाबाद	0 63	0 61	0 63	
दिल्ली	0 65	0 65	0 65	
बम्बई	0 61	0 61	0 61	
लखनऊ	0 77	0 77	0 77	
हैदराबाद	0 67	0 67	0 67	
कलकत्ता	0 65	0 65	0 65	
जमपुर	0 64	0 68	0 68	
मद्रास	0 65	0 65	0 65	
खडीगढ़	0 72	0 72	0 72	

टिप्पणी — केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकृत प्रति-रिक्त कर के कारण मद्रास में मिट्टी के तेल में प्रति लिटर 2 पैसा वृद्धि हुई है ।

अतिरिक्त हुए करेंसी नोटों को बदलने सम्बंधी नियम

976 जी अटल बिहारी वाजपेयी क्या बिना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) रिजर्व बैंक द्वारा अतिरिक्त करेंसी नोटों का रद्द करने, पाम करन और बदलने सम्बंधी नियम क्या है

(ख) गत तीन वर्षों में कमजियम बैंकों से प्राप्त अतिरिक्त करसी नोटों का बदलन के कितने मामलों में प्रमथा नौ महीने और आठ महीने से अधिक का समय लगा और

(ग) इस सम्बन्ध में खिलम्ब का समाप्त करने के लिये क्या वायदाहों का गई है अथवा करने का विचार है ?

बिना मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) (क) अतिरिक्त और फटे-फटे नोटों के विनिमय मूल्य की मदायगी के दावों का फैसला भारतीय रिजर्व बैंक के करेंसी अधिकारी द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक (नाटा की वापसी) नियमावली 1415 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है । मामलों में फटे-फटे नाट जिनकी प्रगली नाटा के रूप में पहचान की जा सकती है भारतीय राज्य बैंक और उमक सहायक बैंकों की शाखाओं तथा करेंसी-बन्ट वाले राजकोषों में भी, केन्द्रीय राजकोष नियमावली, खण्ड 1 के कार्यकारी अनुदण भाग XIV के नियम 83 की टिप्पणी 1 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बदल जाते हैं ।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक की विभिन्न शाखाओं से सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त सूचना होन पर मन्त्रालय पर रख दी जायेगी ।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा-शाखाओं के कार्य की स्थिति की बराबर समीक्षा की जाती रहती है और काम के निपटारे में तेजी लाने के लिये उपयुक्त कदम उठाये जाते हैं, जिनमें उन मामलों में, जहां जरूरी हो, अतिरिक्त कर्मचारियों की मजूरी दी जानी भी शामिल है ।